रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 2214

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 1970/श्रावण 9, 1892

No. 131] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 1970/SRAVANA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st July 1970

SUBJECT.—*Conditions for licensing imports under the VI EXIM Line of Credit (No. 2694), dated 22nd April, 1970.*

No. 112-ITC(PN)/70.—The terms and conditions governing the issuance of import licences financed under VI EXIM Line of Credit (No. 2694) dated 22nd April 1970 as given in Appendix to this Public Notice are notified for the information of the trade.

APPENDIX

Conditions for Licensing Imports under the VI-Exim Line of Credit (No. 2694) dated 22nd April 1970

The licence is issued subject to the following conditions and such other public notices and instructions as may be issued from time to time in supersession and/or modification thereof.

I. General

1. The licence will be issued with an initial validity period of 12 months subject to the conditions that firm orders on CIF, C&F or FOB basis must be placed on the U.S. Suppliers within four months from the date of issue of the Import licence *vide* Public Notice No. 29-ITC(PN)/70, dated 9th February, 1970. If orders are not placed within the time limit of 4 months, the procedure outlined therein should be followed.

2. *Payments.*—Payments to U.S Suppliers against the import licence will either be made under letter of commitment procedure or by remittances through the normal banking channels as explained in paras 15 and 16 below.

3. *Reporting.*—Within a fortnight of the placing of orders/contracts, a report in duplicate, should be sent to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Economic Aid Accounts Section), Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi with a copy to the Ministry of Industry (FE Section) Udyog Bhavan, New Delhi supported by the following information/documents:—

1. Name of the Project/Scheme.
2. No., date and value of the licence and its validity.
3. Value and date of the order placed and accepted by the U.S. Supplier.
4. Name and address of the U.S. Supplier.
5. General description of the items to be imported.
6. Purpose and anticipated place of use of the item of import.
7. A copy of the order placed on the supplier and of his acceptance; and
8. Name and address of the commercial Bank through whom payment will be arranged.

Any change in the contract should be promptly reported.

4. (a) *U.S. Goods and invoice value.*—It should be ensured by the licencee through a suitable provision in the purchase contract/order with the U.S. Supplier, that—

(i) the invoice of the supplier takes into account all discounts, allowances, rebates or other payments received or to be received in connection with the purchase of the goods and that the invoice indicates the exact amount required to be paid to the supplier; and

(ii)) the goods supplied are of U.S. manufacture and origin.

(b) The licensee should obtain and submit certificate in the form given at Appendix D from the supplier, while certificates in the form at Appendix E and F should be submitted by the licensee.

5. (a) *Shipping & Insurance.*—A minimum of 50% by both tonnage and value of the total ocean movement of cargo under this licence should be transported in U.S. flag commercial vessels and the remaining upto 50% should be transported on Indian vessels. *No third country vessel can be used.* Before using Indian vessel, the licensee is required to get the written approval of the Director, India Supply Mission (ISM), Washington D.C. through his supplier/shipper, as that Mission will exercise the function of co-ordinating shipments of cargoes under the EXIM Credit so as to ensure the fulfilment of the requirement that minimum of 50% of the total cargoes under this Credit should move on U.S. flag vessels. (The application to the Director, I.S.M. should contain particulars as given in Appendix 'G'). The licensee should also instruct his supplier/shipper to furnish the following information about his cargoes as and when shipments are made, whether by Indian or U.S. vessels, with a copy of the bill of lading to:—

(1) The Director, India Supply Mission, Shipping Branch, 2536, Massachusetts Avenue, Washington D.C.

(2) Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Economic Aid Accounts Section), Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.

1. Sailing Date.
2. Name and vessel and Registry (*i.e.* Nationality).
3. Brief Cargo description.

4. Value of cargo.

5. Manifest Tars on which freight paid, weight or measurement.

6. Ocean freight paid.

(b) Where the importer decides to engage a US freight forwarding company, he should first notify and submit the proposed contract/agreement covering such services to the Accounts Officer, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs for obtaining approval of the Exim Bank prior to the execution of such contract/agreement. The contract/agreement with the US freight forwarding company should provide that the invoices supplied by the company shall, (i) setforth separately and in detail all amounts expended advanced or contracted for on behalf of the shipper or consignee, as the case may be and indicate to whom such payments have been or are to be made. (ii) Itemise in detail all service charges, commissions, discounts, fees, rebates or other similar payments made or received from the freight forwarder. (iii) Contain a certificate of the freight forwarder in the form at Appendix C. Only duly signed and dated original certificate would be furnished.

Where, however, a freight forwarder is engaged and paid by the US supplier of goods and the freight forwarding charges are included in the supplier's invoice, the above requirements will not apply.

6. *Insurance may be effected either with Indian or U.S. insurance Companies.*

7. Where U.S. shipping and insurance services are use, the payments should be made in U.S. dollars. *Where Indian shipping and Indian insurance serviocs are used, the payments should be made in India in Indian rupees and will not be reimbursed out of the Extn Loan.*

8. All contracts between the importers and the U.S.. Suppliers and between the importers and insurers/shippers etc. should clearly provide for prompt submisson by the U.S. Suppliers etc. of the documents and declarations required under the credit agrangement with the U.S. Eximo Bank (see paras 15 and 16 below).

9. The contracts should provide payment on cash basis and no payments shall be permitted beyond the 31st October, 1971.

10. The importer shall retain for a period of seven years for inspection by or delivery to Exim bank or its agents as Eximbank may request, such invoices and bills of landing, or authenticated copies thereof as may be issued relating to each item financed under this Credit

11. The licensee will not export or permit the export of any of the capital equipment financed under this credit, to any country and shall ensure the sole use of the capital equipment in the territory of India.

1.2 *Disputes.*—The importer shall note that the Government will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise.

13. *Future Instructions.*—The importer shall promptly comply with any directions/instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence.

14 *Breach or violations.*—Any breach or violation of the conditions set forth in the clauses mentioned above would result in appropriate action under the Import and Export (Control) Orders.

II. *Payment Procedure and Documentation*

15. *Reimbursement procedure.*—For individual orders whose value is less than $100,000 (Rs. 5 lakhs) payments to the US Supplier should be made as per the terms of the purchase contract by remittance through normal commercial banking channels, and the importer should furnish to the Government the documents necessary for obtaining reimbursement from the US Exim Bank. The details in this regard are given below. The licensee should furnish the following documents in *triplicate* to the Accounts Officer, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Economic Aid Accounts Section), Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-1 within 2 weeks from the date of shipment:—

(1) *Receipted Invoices.*—Of the US Supplier for the c.i.f. value of the goods, if freight and insurance is also arranged by the supplier; otherwise original receipts of the shipping company and/or insurance company showing the actual

freight/insurance charges paid in dollars shold also be supplied besides the supplier's *receipted invoice*. Documents evidencing payments to suppliers should be submitted which should also indicate the exact date of payment.

(ii) *Declarations.*—Duly completed, as in *Appendix* 'A' (Attached) from the insurance or reinsurance underwriter, *as in Appendix 'B'*) attached from the insurance broker, *as in Appendix 'C'* (attached) from the freight-forwarder and *as in Appendix 'D'* (attached) from the US Supplier. In the case of f.o.b. contracts, declarations in *Appendix* 'A', 'B', 'C', and 'D' from the insurance, insurance broker, freight forwarder and the contractor respectively, should be furnished.

In the case of c.&f./c.i.f. contracts it will be adequate if a declaration in form *Appendix* 'D' indicating the ful c. & f./c.i.f. value is completed by the US supplier. When Insurance charges are separately invoiced by an insurance broker or underwriter, declarations A & B are required. (In case insurance is taken with Indian companies, it is not necessary to furnish declaration in the form at *Appendix 'A' and 'B'*).

NOTE.—The above requirements of documents should be clearly specified in the Purchase contract with the U.S. Supplier. These requirements should also be spelt out in the letters of credit opened by the importers. Only duly signed and dated original declarations/certificates are required to be furnished. The declarations although addressed to Exim bank should be sent to the importer in India.

16. *Letter of Commitment Procedure.*—(a) The letter of Commitment procedure is required to be followed if an individual order on any single US supplier against an import licence involves opening of a commercial Letter of Credit in the amount of $ 100.000 (Rs. 7.5 lakhs) or above. *No remittance of foreign exchange will be permitted against imports covered under the letter of commitment procedure.*

(b) Within three weeks from the placement of orders, the importers should make an application to the Accounts Officer, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Economic Aid Accounts Section), Jeevan Deep Building, New Delhi (in the form as in Appendix 'H') alongwith a Bank guarantee (in form at *Appendix I* from an authorised dealer in foreign exchange in India (through whom letter of credit is being opened) for obtaining Eximbank's approval to the letter of credit and for issue of necessary letter of undertaking by the Eximbank to reimburse the dollar payments made by the U.S. correspondent bank. The Bank guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the dollar value of the letter of credit. The prevailing composite rate of conversion shall be applied for calculating the rupee equivalent, the current rate being $1.00=Rs. 7.575. Any change in this composite rate of exchange will be notified by the Government as and when it takes place.

(c) Alongwith the application referred to above, two non-negotiable copies of the letter of credit opened by the Indian banker on the US bank should be sent to the Accounts Officer, the original being sent to the US correspondent bank with a request to send four copies of its proforma letter of credit (to be opened in favour of the US supplier on the strength of the L/C opened by the Indian bank) to the C.A.O. I.S.M., Washington for getting it guaranteed by the Exim Bank. For this purpose, the L/C opened with the U.S. Bank should *inter alia* contain the following conditions:—

(i) the letter of credit is subject to its guaranteed by the Exim bank to reimburse the payment made to the U.S. suppliers by the U.S. correspondent bank

(ii) conditions and documents as stipulated in para 4, 5 and 15 of the licensing conditions

(iii) only dollar payments are to be made to the U.S. Suppliers by the U.S. correspondent bank and will be reimbursed by the Exim bank.

(iv) original shipping documents etc. Negotiable set) should be forwarded by the U.S. correspondent bank to the Indian Bank which has opened the letter of credit along with an advice note giving full details of payment and date etc.

(d) On receipt of the application referred to above along with the Bank guarantee and two non-negotiable copies of L/C, the Department of Economic Affairs (Economic Aid Accounts Section), will refer, through ISM, Washington, the Letter of Credit to the U.S. Eximbank for their approval and/for issue of necessary Letter of undertaking to reimburse the correspondent U.S. Bank for dollar payments to be made in accordance with the terms and conditions of

Letter of Credit. The approval and undertaking when received from Exim Bank will be notified to all concerned, Amendments to guaranteed letters of credit also require the approval of Exim Bank. The request for an amendment should be made to the Department of Economic Affairs (Economic Aid Accounts Section) accompanied by two copies of the proposed amendment and when appropriate, by purchase orders or other documents, justifying the amendment.

17. Within seven days of the receipt of the documents etc. as indicated in 16(iv) above, the Bank in India shall arrange to deposit to Government Account, as indicated in succeeding paras, the rupee equivalent of the amounts disbursed to the suppliers calculated at the prevailing composite rate of conversion between dollar and the rupee along with interest at 6% per annum for the period between the date of payment to the U.S. suppliers and the date on which the rupee equivalents are deposited. (The current composite rate is $1.00=Rs. 7.575). **It will be the responsibility of** the bankers to arrange for the deposit of these amounts before the original sets of import documents are handed over to the importers.

18. The deposit envisaged in the earlier paras may be made either at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or the amount may be remitted by means of a Demand Draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC(PN)/68 dated the 24th October, 1968. The head of account to be credited is "T-Deposits & Advances—Part II—Deposits—Deposits not bearing Interest—Direct Payment Procedure" under the detailed Head. "Deposits for cost of supplies and equipment under the Fifth Exim Line of Credit."

19. It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the Exchange Control copy of the licence endorsed by them as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite 'S' Form as prescribed by the Reserve Bank of India.

20. *Public Sector other than State Electricity Boards and Central & State Government Departments.*—In the case of orders placed directly on the U.S. suppliers by the importers in the Public Sector, the procedure outlined for the importers in the Private Sector will apply *mutatis mutandis* except that no Bank guarantee needs to be furnished from the Indian Bankers through whom L/C is proposed to be opened. These importers will, however, be required to nominate a branch of the State Bank of India through whom the L/C will be opened and to whom the documents should be sent.

21. *Central & State Government Departments including State Electricity Boards.*—The importers will make all the payments through the C.A.O., I.S.M., Washington who will follow the reimbursement procedure or the L/C procedure according to the value of individual order on any single U.S. supplier. For this purpose, they will, however, be required to follow the general conditions laid down in part I hereof. Debits for these payments will be raised against them in the usual manner through the Accountant General Central Revenues, New Delhi or their respective Accounts Officer as the case may be.

ANNEXURE A

INSURANCE OR RE-INSURANCE UNDERWRITER'S CERTIFICATE

Export-Import Bank of the United States
Washington DC 20571 Date———

SUBJECT.—Exim Bank Credit No.

(Identify insurance contract by names of parties, number and date)

Dear Sir,

We have written the insurance contract identified above and we understand that the premiums thereon may be financed in whole or in part through a credit established by the Export-Import Bank of the United States, an agency of the United States of America.

Certificate

We hereby certify that except for a standard broker's commission of not more than————% of the amount of said premiums, we have not granted or paid, agreed to grant or pay or caused to be granted or paid to the insured or to any other person or entity (except our regular full-time directors, officers, and employees of the extent of their regular remuneration) any discount, allowance, rebate, commission, fee or other payment in connection with the sale or for obtaining the sale of the insurance provided by said contract.

Name and address of underwriter

By.....

Title.....

ANNEXURE B

INSURANCE BROCKER'S CERTIFICATE

Export-Import Bank of the United States
Washington DC 20571

Date————————

Subject: Exim Bank Credit No.

(identify insurance contract by names of parties, number and date)

Dear Sirs,

We have assisted in placing the insurance contract identified above and we understand that the premiums thereon may be financed in whole or in part through a credit established by the Export-Import Bank of the United States, an agency of the United States of America.

Certificate

We hereby certify that except for a standard broker's commission of not more than————% of the amount of the said premiums, we have not accepted, agreed to accept or caused to be accepted from any person or entity and have not granted or paid, agreed to grant or pay, or caused to be granted or paid to the insured or to any other person or entity (except our regular full-time director, officers and employees to the extent of their regular remuneration) any discount, allowance, rebate, commission fee, or other payment in connection with the sale, or for obtaining the sale, of the insurance provided by the said contract.

Name & address of Broker

By.....

Title.....

ANNEXURE C

FREIGHT FORWARDER'S CERTIFICATE

Export-Import Bank of the United States
Washington, D C 20571. Date————

Subject: Exim Bank Credit No.————————

(Name of Borrower)

Freight Forwarder's Certificate

Dear Sirs,

We understand that the services covered by our invoices described as follows:

Number	*Date*	*Name and Address of Buyer*	*Amount*

may be financed in whole or in part through a credit established by the Export-Import Bank of the United States, an agency of the United States of America.

Certificate

We hereby certify that the services covered by said invoices are of United States origin.

We hereby further certify that we have not granted or paid, agreed to grant or pay, or caused to be granted or paid any discount, allowance rebate, commission, fee, or other payment in connection with the sales of, or for obtaining the contracts to sell, the services covered by said invoices, except:

1. the discounts and allowances to the Buyer, if any, stated in said invoices;

2. the regular remuneration of our regular full-time directors, officers and employees;

3. regular commissions or fees, if any, to our regular sales agent or representative in the country of the Buyer; and

4. other payments, if any, as follows:

Payee or Intended Payee	*Address*
(If none, please so state)	

For each payee or intended payee, if any, whose name and address appears above, we are furnishing to you under separate cover a statement describing in detail the services performed by such payee and specifying the amounts received or to be received by each payee:

Name and address of Freight Forwarder

(Authorized Signature)

By———————

Type Name and Title.

ANNEXURE D

SUPPLIER'S CERTIFICATE*

Export-Import Bank of the United States
Washington, DC 20571.

Subject: Exim Bank Credit No.————
(Name of Borrower)
Supplier's Certificate

Dear Sirs,

We understand that the equipment, materials, and services covered by our invoices described as follows:

Number	*Date*	*Name and Address of Buyer*	*Amount.*

may be financed in whole or in part through a credit established by the Export-import Bank of the United States an agency of the United States of America.

Certificate

We hereby certify that the equipment, materials, and services covered by said invoices are of United States manufacture or origin.

We hereby further certify that we have not granted or paid, agreed to grant or pay, or caused to be granted or paid any discount, allowance, rebate, commission, fee, or other payment in connection with the sales of, or for obtaining the contracts to sell, the equipment, materials, and services covered by said invoices, except:

*Form for use by suppliers of goods and services including insurance and freight forwarding charges when such charges are paid by the Supplier. When insurance and freight forwarding charges are separately invoiced by a freight forwarder and paid by the Buyer, Annexure C should be used.

1 the discounts and allowances to the Buyer, if any, stated in said invoices;

2 the regular remuneration of our regular full-time directors officers, and employees,

3 regular commisions or fees, if any, to our regular sales agent or representative in the country of the Buyer, and

4 other payments, if any as follows

Payee or Intended Payee	*Address*
(If none, please so state)	

For each payee or intended payee, if any, whose name and address appears above, we are furnishing to you under separate cover a statement describing in detail the services performed by such payee and specifying the amount received or to be received by each such payee

Name and Address of Supplier

(Authorised Signature)

By———————

Type Name and Title

ANNEXURE E

CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS, NEW DELHI.
JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS, BOMBAY, CALCUTTA

Re: Import Licence No.. dated for.

Sir,

I|We hereby declare that the net purchase price which I|We have paid to the U S A suppliers for each item of equipment machinery, services etc, against the above licence is as set forth in the enclosed receipted invoice of the suppliers and that such amount reflects all fees rebates, discounts, allowances, charges or other payments paid or to be paid or received or to be received by me|us in connection with the purchase of each item

PLACE ———————— Signature————————

DATE·———————— Name in Block Letters————————

Designation————————

Address— ————————

This declaration should be signed by the Proprietor, Partner or Managin Director of the licensee firm or by any person duly authorised to sign any lega declaration on behalf of the firm The position held by the person(s) signin this declaration should be clearly stated.

ANNEXURE F

CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS, NEW DELHI
JT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS, BOMBAY/ CALCUTTA.

Re: Import Licence No..... ..dated.....for.....

Sir,

I|We hereby declare that, except to the extent previously reported in my|our declaration dated (any previous Appendix F) under this licence, I|We have not paid, agreed to pay or caused to be paid to any person or other entity (except our regular full-time directors, officers and employees to the extent of their regular remuneration) any commission, fee or other payment in connection with my|our application for securing Government's approval in principle of the purpose for which import is sought to be made under the Export Import Bank Programme, or application for the import licence or operation of the above

licence, except compensation as stated below for *bona fide* professional, technical, or other comparable service incident presenting the merits of our application(s) or to the operation of the above licence (if none, please so state).

Payee or Intended Payee	*Address*	*Nature of Service*	*Amount.*

There is attached hereto a statement of each above named payee and intended payee verifying the amount stated opposite his name together with his agreement to accept such reduction therein as may be necessary to make such amount satisfactory to the Government.

Place———————dated———————

Signature———————

Name in Block letters———————

Designation———————

Address———————

This declaration should be signed by the Proprietor, Partner or Managing Director of the licensee firm or by any person duly authorised to sign any legal declaration on behalf of the firm. The position held by the person(s) signing this declaration should be clearly stated.

*Strike out whichever is not relevant.

ANNEXURE G

Application form to be filled in by or on behalf of the private sector importer for relaxation of the requirement of 100 per cent shipment of cargo by U.S. vessels imposed by the Government of India.

This form should be filled in triplicate and addressed to the Director, India Supply Mission, Shipping Branch, 2536, Massachusetts Avenue, N.W., Washington-8, D.C.

1. Name and Address of the applicant.

2. Whether the applicant is a principal or an agent and his status in connection with the application?

3. What is the amount of foreign exchange released to him?

4. What is the type of goods to be transported from the U.S.A. to India?

5. What is the approximate tonnage?

6. What is/are the shipping period/periods and name of the Indian vessel, if known?

7. What is the percentage of goods in tonnage for which waiver is now required for shipment by Indian vessels, and what is the approximate cost of transportation?

I/We hereby declare that the information mentioned above is correct to the best of my/our knowledge and belief. It is hereby warranted that I/we and my/our company are liable for any damages that the Government of India or the India Supply Mission, Washington, D.C. may incur by acting on the information given above in case the information is found to be basically incorrect or misleading. I/we further warrant that no quantities will be shipped in Indian flag vessels without the written authorisation of the India Supply Mission and in excess of any quantities in that written authorisation.

(Signature of the Applicant)

ANNEXURE H

Form of application from importer for authorisation to open a letter of credit under Letter of Commitment Procedure.

To

The Accounts Officer,
Economic Aid Accounts Branch,
Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)

SUBJECT: *Import of from USA under VI Exim Line of Credit*

Sir,

In connection with the import of————————————from USA against VI Exim Line of Credit No. 2694 we furnish the following particulars to enable you to obtain approval to the letter of credit and undertaking from Eximbank.

1. Name and address of the Indian Importer.

2. Number, date and value of the import licence/foreign exchange release and date of its expiry.

3. Name and full address of the U.S. Suppliers.

4. Value in dollars of the order placed and accepted by the suppliers.

5. Expected date by which payments to the suppliers are expected to be completed.

6. Description of the goods to be imported.

7. A schedule indicating probable date with amounts on which payments under the contract will fall due.

8. Name and address of the Indian Bank through whom the import documents are to be received, and

 (N.B.) In the case of public sector importers, the bank to be nominated should be a branch of the State Bank of India. No such nomination will be necessary in case of imports made by the Department of Central/State Governments (including State Electricity Boards).

9. The name and address of the Bank in USA who will issue the L/C in favour of the supplier.

10. *The Bank Guarantee furnished by *Name of the Bank* and which has been duly adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Stamp Act, 1899, is attached.

11. Three copies of each of the contract(s) on the U.S. suppliers are attached herewith.

12. Two non-negotiable copies of the letter of credit opened by the Indian Bank in favour of the U.S. Correspondent Bank are attached herewith.

13. I certify that the licensing conditions are being fully followed.

Yours faithfully,

(Signature of the licensee and full address)

*Applicable to Private Sector Import only.

ANNEXURE I

To

The President of India,
Through Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
NEW DELHI.

Sir,

In consideration of the President of India hereinafter referred to as 'the Government' having agreed to arrange for payment in foreign currency of the price of goods to be imported by

(i) ————————
(ii) ————————
(iii) ————————
(iv) ————————
[Name & Address(es)]

} Individual/partners working under the name and style of Messrs————————

————————a company having its registered office at————————in the State of————————hereinafter referred to as the Importers under Import Licence No. ———— dated ———— granted for ———— rupees. We ———— hereby granted that we shall arrange to deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi/State Bank of India, Delhi, or by means of Demand Draft drawn on State Bank of India. Tis Hazari, Delhi, in the manner and against the appropriate Head of Account as stated in the Licensing Conditions:

(i) Within 7 days of the receipt of the advice of payment, with shipping documents, from the U.S. Suppliers of rupee equivalent of the cost in U.S. dollars disbursed by the Eximbank USA to the suppliers, at the rate of Rs. 757.5= US $ 100 along with interest thereon at 6 per cent per annum from the date of payment to U.S. Suppliers to the date of deposit of the rupee equivalent.

(ii) within 7 days of the demand by the Government, such additional amount as may be demanded by the Government as being due on account of service charges.

2. We————undertake to pay to the Government on demand and without demur such sum not exceeding————rupees (Plus interest and service charges as aforesaid) as may be demanded by the Government in the event of the Importers failing or neglecting to make any of the above mentioned said payments and the decision of the Government as to such failure or neglect on the part of Importers and as to the amount payable to the Government by us hereunder shall be final and binding on us.

3. We,———— agree and undertake not to release negotiable set of shipping documents to the Importer until after the rupee equivalent as aforesaid and the other dues, if any, as demanded by Government are deposited to the credit of the Government.

4. We,————agree and undertake not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the Government of India.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importers or of our Bank.

6. The Government shall have the fullest liberty without affecting this guarantee to vary any of the terms of the Import Licence detailed above or to extend the time for payment by the Importers from time to time or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importers and we,————shall not be released from our liability under this guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the amount aforesaid or by reason of any such variation or extension of time

being given to the Importers or any forbearance, act or omission the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importers or by any of the matters or things whatsoever which under the law relating to sureties shall but for this provision have the effect of so releasing us————Bank from our such liability.

Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs.———— (Plus interest and service charges as aforesaid) and it will remain in force till the ————** day of(Month)———— 19———. Unless claims under the bond/guarantee are made in writing with in six months of this date and unless a suit or action to enforce whose claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto————all Government's rights under this bond/guarantee shall be forefeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Yours faithfully,
Signature of the Authorised Officer
of the Bank and Bank's full address.

Place:————

Date:————

(The Bank guarantee is to be executed on a non-judicial stamp paper, the value of the stamp being adjudicated by the Collector in accordance with provisions of Section 31 of the Indian Stamp Act, 1899).

*Strike out which is not applicable.

**This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments are expected to be finalized for shipments, as per delivery schedule of the relative contracts.

R. J. REBELLO.
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1970

विषय :— एक्जिम 6 लाइन क्रेडिट (सं० 2694) दिनांक 22 अप्रेल, 1970 के अन्तर्गत लाइसेंस शर्तें

सं० 112-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—एक्जिम 6 लाइन क्रेडिट (सं० 2694 दिनांक 22—4—70 के अन्तर्गतअर्थयुक्त आयात लाइसेंस जारी करने में लागू होने वाली व शर्तें जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, सूचना के लिए अधिसूचित कर दी जाती हैं ।

परिशिष्ट

एक्जिम 6 लाईन क्रेडिट (सं० 2694) दिनांक 22 अप्रैल 1970 के अंतर्गत आयात लाईसैंस के लिए शर्तें ।

निम्नलिखित शर्तों के अधीन लाइसेंस जारी किया जाता है तथा इसी प्रकार की अन्य सार्वजनिक सूचनाएं तथा अनुदेश समय-समय पर इसके अधिक्रमण तथा / या आशोधन में जारी हो सकते हैं ।

1. सामान्य

1. 12 मास की प्रारम्भिक वैध, अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा और इस शर्त पर कि पार्टी के बीमा-भाड़ा-शुल्क, बीमा शुल्क अथवा पोतपर्यन्त निःशुल्क के आधार पर संयुक्त राज्य सम्भरकों को आदेश लाइसेंस जारी होने की तारीख से अवश्य ही 4 मास के भीतर आदेश दे दिए जाएं, देखिए

सार्वजनिक सूचना सं० 29—आई० टी० सी० (पी एन) /70, दिनांक 9—2—70/यदि आदेश 4 मास की निश्चित अवधि के भीतर नही दिए जाते हैं, तो उसमें जो प्रक्रिया दी गई है उसका पालन किया जाना चाहिए।

2. **भुगतान**.—आयात लाइसेंस के विपरीत संयुक्त राज्य संभरकों को भुगतान या तो सुपुर्दगी पत्र प्रक्रिया के अन्तर्गत अथवा नीचे के पारा 15 और 16 में बताये गए अनुसार बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जमा किए गए रूपयों के द्वारा किया जाएगा।

3. **रिपोर्ट करना**:—निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजों से समर्थित, उद्योग मंत्रालय (एफाई अनुभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली की एक प्रति से साथ आदेशों / संविदाओं के जारी होने के 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट **दो प्रतियों** में वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग (अर्थकार्य सहायता लेखा अनुभाग), जीवनदीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज दी जानी चाहिए :—

(1) परियोजना/योजना का नाम।

(2) लाइसेंस सं०, दिनांक मूल्य तथा उसकी वैधता।

(3) दिए गए आदेश का मूल्य तथा उसका दिनांक तथा संयुक्त राज्य संभरक द्वारा उसकी स्वीकृति।

(4) संयुक्त राज्य संभरक का नाम तथा पता।

(5) आयात की जाने वाली मदों का सामान्य विवरण।

(6) आयात की जाने वाली मद का उद्देश्य तथा प्रत्याशित जगह जहां उसका प्रयोग किया जाएगा

(7) संभरक को दिए गए आदेश तथा उसकी स्वीकृति की एक एक प्रति। तथा

(8) उस व्यापारिक बैंक का नाम तथा पता जिसके द्वारा भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।

यदि संविदा में किसी प्रकार का संशोधन हो तो उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही भेजनी चाहिए।

4. (ए) **यू० एस० माल तथा बीजक का मूल्य**.— यु० एस संभरक के साथ क्रय संविदा / आदेश के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यस्था द्वारा लाइसेंस धारी को यह निश्चय हो जाना चाहिए, कि :

(1) संभरक के बीजक में, सभी प्रकार के कमीशन, भत्ते, कर्टाती अथवा अन्य प्राप्त भुगता अथवा माल को खरीदने के सम्बन्ध में जो प्राप्त होने हैं वे सभी तथा संभरक को भुगतान किए जाने वाली अपेक्षित सही राशि जिसे बीजक संकेतिक करना है, लेखा में शामिल हैं; और

(2) संभरण माल यू० एस० के हैं तथा वहीं के बने हुए तथा उसी मूल के है। (4 बी) लाइसेंस धारी को परिशिष्ट डी में दिए गए प्रमाण पत्र को संभरक पत्र को प्राप्त कर भेंजना चाहिये, जबकि परिशिष्ट ई तथा एफ में दिए गए प्रमाण पत्र लाइसेंस धारी द्वारा ही भेजे जाने चाहिएं।

5. (ए) **पोत परिवाहन तथा बीमा**.—इस लाइसेंस से अन्तर्गत समुद्र में जहाज के कुल आवागमन के मूल्य का तथा टन भार दोनों का कम से कम 50 प्रतिशत यू० एस० ध्वज व्यापारिक जहाज से भेजा जाना चाहिए तथा बाकी 50 प्रतिशत भारतीय जहाज से भेजा जाना चाहिए। **तीसरे किसी भी देश के जहाज का प्रयोग नहीं किया जा सकता**। भारतीय जहाज का प्रयोग करने से पूर्व लाइसेंस धारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने संभरक/पौतिक व्यापारी द्वारा निदेशक, भारतीय संभरण मिशन (आई एस एम) वाशिंगटन डी० सी० से लिखित अनुमोदन प्राप्त करे क्योंकि मिशन एकिजम

क्रेडिट के अन्तर्गत जहाजों की जहाजरानी के समन्वय कार्य का संचलन करेगा ताकि वह इस बात का निश्चय कर ले कि पूर्ति की कुल आवश्यकता का कम से कम 50 प्रतिशत इस क्रेडिट के अन्तर्गत यू० एस० ध्वज पोतों में भेजा जाना चाहिए। (निदेशक, आई० एस० एम० को जो आवेदन पत्र भेजना है, उस में वे ही विवरण दिए जाने चाहिएं जो कि परिशिष्ट 'जी' में दिए गए है। जैसे ही और जब पोत लदान हो जाते हैं तो अपने जहाजों के बारे में निम्नलिखित सूचना लाइसेंस धारी अपने संभरक/ पौतिक व्यापारी को भेजकर उसे यह भी आश्वस्त कर दें कि उसने पोतलदान कार्य भारतीय या यू० एस० पोतों द्वारा किया है, लदान बिल की एक प्रति के साथ इनको भेज दें :

(1) निदेशक, भारत संभरक मिशन, जहाजरानी शाखा, मैसाच्यूट्स-एवेन्यू, वाशिंग्टन डी० सी।

(2) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग (अर्थकार्य सहायता लेखा अनुभाग) जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।

1. चालन तिथि।
2. जलयान का नाम तथा रजिस्ट्री (जैसे राष्ट्रीयता)।
3. जहाज का संक्षिप्त विवरण।
4. जहाज का मूल्य।
5. नाविक माल सूची जिसके लिए भाड़ा चुकाया गया उसका वजन अथवा माप।
6. समुद्र भाड़ा जो चुकाया गया।

5(बी) जहां आयातक यू०एस० भाड़ा अग्रप्रेषण कम्पनी को काम में लाने का निश्चय करता है, उसे पहले अधिकृत करना चाहिए और इस प्रकार की सेवाओं से संबन्धित प्रस्तावित संविदा/ करार वित्त मंत्रालय अर्थकार्य विभाग, लेखा अधिकारी को इस प्रकार के संविदा/ करार के कार्यान्वयन होने से पहले ही एक्जिम बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए। यू० एस० भाड़ा अग्र-प्रेषण कम्पनी के साथ संविदा/ करार में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कम्पनी द्वारा जो बीजक दिए जायेंगे (1) पौतिक व्यापारी या परेषी की ओर जैसी स्थिति हो, सभी प्रकार की लगाई गई राशि दिए गए अग्रिम या की गई संविदा को अलग अलग और विस्तृत रूप से बतायेगा और यह संकेत करेगा कि भुगतान किसको किया गया है या किया जाने वाला है। (2) सभी सेवा खर्चे, कमीशन, कटौती, फीस, रिबेट अथवा अन्य इसी प्रकार के भुगतान भाड़ा जो अग्रेषणकर्त्ता को दिए गए है अथवा लिए गए हैं, उसका सदवार ब्यौरा देगा। (3) परिशिष्ट 'सी' के जैसा इसके साथ भाड़ा अग्रेषण कर्त्ता का एक प्रमाण पत्र होगा। केवल विधिवत् हस्ताक्षरित तथा दिनांकित मूल प्रमाण-पत्र भेजा जाएगा।

लेकिन जहां भाड़ा अग्रेषण कर्त्ता नियुक्त किया जाता है तथा यू० एस० माल के संभरक द्वारा भुगतान किया जाता है और भाड़ा अग्रप्रेषणकर्त्ता के खर्चे संभरक के बीजक में शामिल किए जाते हैं तो उपर्युक्त शर्तें लागू नहीं होंगी।

6. **बीमा या तो भारतीय या यू० एस० कम्पनियों के साथ लागू हो सकता है।**

7. **जिस मामले में यू० एस० जहाजरानी तथा बीमा सेवाओं का प्रयोग किया जाता है, उस अवस्था में भुगतान यू० एस० डालर में किया जाना चाहिए। जिस मामले में भारतीय जहाजरानी तथा बीमा सेवाओं का प्रयोग किया जाता है, उस अवस्था में भारतीय मुद्रा में भारत में ही भुगतान किया जाना चाहिए तथा एक्जिम ऋण ऋण में से उसे अदा नहीं किया जाएगा।**

8. आयातक तथा यू०एस० संभरक और आयातक तथा बीमा कर्ता/पौतिक व्यापारी आदि के बीच हुई सभी संविदा में यू०एस० संभरक द्वारा यू०एस० एक्जिम बैंक (नीचे दिए गए पारा 15 तथा 16 देखें) के साथ क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत अपेक्षित दस्तावेजों तथा घोषणा-पत्रों को शीघ्र करने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए ।

9. संविदाओं में नकद भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए तथा 31 अक्तूबर, 1971 के बाद के भुगतानों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

10. आयातक उन वीजकों तथा लदान पत्रों अथवा उन से संबन्धित मान्य प्रतियों को जोकि इस क्रेडिट के अन्तर्गत प्रत्येक मद को अर्थयुक्त करने के सम्बन्ध में जारी की जा सकती हैं उसे निरीक्षण के लिए अथवा एक्जिम बैंक अथवा उसके एजेन्ट को सुपुर्दगी के लिए 7 वर्ष की अवधि के लिए रोक रखेगा ।

11. लाइसेंसधारी इस क्रेडिट के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए गए पूंजीगत उपस्कर में से किसी का निर्यात किसी भी देश को नहीं करेगा अथवा निर्यात की स्वीकृति नहीं देगा और ध्यान रखेगा कि पूंजीगत उपस्कर का पूर्ण उपयोग भारत प्रदेश में ही होगा ।

12. **झगड़े** : आयातक को यह जान लेना होगा कि किसी किस्म के झगड़े होने की स्थिति में भारत सरकार उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी ।

13. **भविष्य के लिये अनुदेश.**—आयातक किसी अथवा सभी मामलों में उत्पन्न हुए के बारे में या आयात लाइसेंस से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों/अनुदेशों या आदेशों का शीघ्रता से पालन करेगा ।

14. **तोड़ना अथवा उल्लंघन करना**:—उपर्युक्त धाराओं में दिए गए अनुदेशों को तोड़ने अथवा उल्लंघन करने के फलस्वरूप आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेशों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी ।

2—भुगतान की विधि तथा प्रलेखन

15. **प्रतिपूर्ति विधि** : एक अलग आदेश के लिए जिसका मूल्य 1,00,000 लाख डालर (7.5 लाख रुपये) हो, क्रय संविदा में दिए गए नियमों के अनुसार **आयातक वाणिज्यिक बैंकिंग चैनल के द्वारा उसका भुगतान** यू०एस० संभरक को किया जाना चाहिए और यू०एस० एक्जिम बैंक से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आयातक को चाहिए कि वह आवश्यक दस्तावेजों को सरकार को भेजे । इस सम्बन्ध में ब्यौरा नीचे दिया गया है । लाइसेंसधारी को चाहिए कि जहाज लदान की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर अन्दर निम्नलिखित दस्तावेजों को तीन प्रतियों में लेखा अधिकारी वित्त मंत्रालय (अर्थकार्य विभाग) (अर्थकार्य सहायता लेखा अनुभाग), जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली–1 को भेजदें ।

(1) **प्राप्त किए गए बीजक**: यू०एस० संभरक के माल के बीमा भाड़ा शुल्क मूल्य के लिए, यदि भाड़ा और बीमे की भी व्यवस्था यू०एस० संभरक द्वारा की गई है; अन्यथा संभरक द्वारा **प्राप्त किया गया बीजक** के अतिरिक्त जहाजरानी कंपनी तथा/अथवा बीमा कंपनी की मूल पावती जिसमें वास्तविक भाड़ा/बीमा खर्च जिसका डालर में भुगतान हुआ दिखाया गया है, उसे भेजा जाना चाहिए । ये प्रलेख जो संभरकों के भुगतान को साक्ष्यांकित करते हैं, उन्हें संभरकों के पास भेज देना चाहिए, उसमें भी भगतन की सही सही तारीख संकेतिक होनी चाहिए ।

(2) **घोषणाएं**: वे जो विधिवत् पूर्ण हैं जैसा कि परिशिष्ट 'ए' (संलग्न) बीमा अथवा पुर्नबीमा, बीमा कर्त्ता द्वारा, **परिशिष्ट 'बी'** (संलग्न) बीमा दलाल द्वारा, जैसा कि **परिशिष्ट 'सी'** (संलग्न) भाड़ा अग्रेषणकर्त्ता द्वारा तथा जैसाकि **परिशिष्ट 'डी'** (संलग्न) यू०एस० संभरक द्वारा और विधिवत् पूर्ण हैं। पोतपर्यन्त निःशुल्क संविदाओं के मामले में, घोषणाएं जो परिशिष्ट 'ए', 'बी', 'सी', तथा 'डी' में बीमा, दलाल द्वारा, भाड़ा अग्रेषणकर्त्ता द्वारा तथा संविदाकर्त्ता द्वारा क्रमानुसार भेजनी चाहिए।

सीमा-शुल्क और भाड़ा/सीमा-शुल्क बीमा भाड़ा संविदाओं के मामलों में, यदि परिशिष्ट 'डी' में दिया गया घोषणा पत्र जो यू०एस० संभरक द्वारा सीमा-शुल्क और भाड़ा/सीमा-शुल्क बीमा भाड़ा मूल्य को पूरा करने का संकेत कर रहा है, यह पर्याप्त होगा। जब बीमा खर्चों का बीमा दलाल या बीमा कर्त्ता द्वारा अलग से बीजक किया जाता है, तो 'ए' और 'बी' के घोषणा-पत्र अपेक्षित हैं। (यदि बीमा भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाता है, तो परिशिष्ट 'ए' तथा 'बी' में दिए गए घोषणा-पत्रों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।)

टिप्पणी: यू०एस० संभरक के साथ हुए क्रय संविदा में उपर्युक्त दस्तावेजों की जो मांग की गई है उसे स्पष्ट रूप से विशिष्टिकृत कर देना चाहिए। आयातक द्वारा खोले गए साख पत्रों में भी इन को अंकित कर देना चाहिए। केवल विधिवत् हस्ताक्षरित तथा दिनांकित मूल घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र भेजने आवश्यक हैं। यद्यपि घोषणा-पत्र एक्जिम बैंक को संबोधित किए गए हैं फिर भी भारत में आयातक को भेजे जाने चाहिए।

16. **सुपुर्दगी कार्यविधि का पत्र**:— (ए) किसी एक यू०एस० संभरक को आयात लाइसेंस के विपरीत यदि अलग से आदेश दिया जाता है, जिसमें 100,000 (7.5 लाख रुपये) डालर या इससे अधिक की धन राशि के लिए व्यापारिक साख-पत्र खोलना शामिल है, इसके लिए सुपुर्दगी कार्यविधि-पत्र का पालन किया जाना अपेक्षित है।

सुपुर्दगी कार्यविधि-पत्र के अन्तर्गत आयात के विपरीत विदेशी मुद्रा के प्रेषण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी

16.(बी) आदेश देने के तीन सप्ताह के भीतर साख-पत्र के लिए एक्जिम बैंक की स्वीकृति तथा यू०एस० संबद्ध बैंक द्वारा किए गए डालर में भुगतान की अदायगी के लिए एक्जिम बैंक द्वारा बन्धन-पत्र जारी करने के लिए आवेदक को चाहिए कि भारत में विदेशी मुद्रा देने वाले अधिकृत व्यापारी द्वारा (जिसके माध्यम से साख-पत्र खोला जा रहा है) बैंक गारन्टी (जैसा कि परिशिष्ट आई में दिया गया है) के साथ अपना आवेदन-पत्र, लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय (अर्थकार्य विभाग, अर्थ-कार्य सहायता लेखा अनुभाग) जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामैण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज देना चाहिए। बैंक गारन्टी की राशि जो रुपये में है, वह साख-पत्र में दी गई डालर मूल्य-राशि के बराबर होनी चाहिए। रुपया तुल्यांक की परिगणना के लिए प्रचलित मिली-जुली परिवर्तन की दर लागू होगी, वर्तमान 1.00 डालर 7.575 रुपया है। जब कभी मुद्रा की मिली-जुली दर के विनिमय में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो उसे सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया जाएगा।

16.(सी) उपर्युक्त आवेदन-पत्र के साथ, यू०एस० बैंक के लिए भारतीय बैंकर द्वारा खोले गए साख-पत्र की दो अपरक्राम्य प्रतियां लेखा अधिकारी को भेजनी चाहिए, मूल प्रतियां इस प्रार्थना के साथ यू०एस० संबद्ध बैंक को भेजी जानी चाहिए कि वह इस साख पत्र के प्रपत्र की चार प्रतियां (जोकि भारत बैंक द्वारा साख-पत्र के आधार पर यू०एस० संभरक के नाम में साख पत्र खोला जाना है) एक्जिम

बैंक द्वारा गारंटी करवाने के लिए सी०ए०ओ०, आई०एस०एम०, वाशिंगटन को भेजना चाहिए। इस उद्देश्य से यू०एस० बैंक के साथ खोले गये साख-पत्र में साथ ही साथ निम्नलिखित शर्तें भी शामिल होनी चाहिए:—

(1) यू०एस० संबद्ध बैंक द्वारा यू० एस० संभरक के भुगतान की अदायगी के लिए यह साख-पत्र एक्जिम बैंक द्वारा दी गई गारन्टी के अधीन है।

(2) लाइसेंस शर्तों के पैरा 4, 5 तथा 15 में निर्दिष्ट नियम तथा दस्तावेज।

(3) यू०एस० संबद्ध बैंक द्वारा यू०एस० संभरक को केवल डालर में ही भुगतान किया जाने वाला है तथा अदायगी एक्जिम बैंक द्वारा की जाएगी।

(4) मूल जहाजरानी दस्तावेज इत्यादि, (परक्राम्य सेट) एक परामर्श नोट, जिसमें भुगतान का ब्यौरा तथा तिथि इत्यादि दी गई हों, उसके साथ यू०एस० बैंक द्वारा उस भारतीय बैंकों को भेजने चाहिए जिसने साख-पत्र खोला है।

16. (डी) ऊपर उल्लिखित आवेदन पत्र बैंक गारंटी तथा साख-पत्र की दो अपरक्राम्य प्रतियों के साथ प्राप्त होने पर, अर्थकार्य विभाग (अर्थकार्य सहायता अनुभाग), साख-पत्र को भारतीय संभरण मिशन के माध्यम से यू०एस० एक्जिम बैंक को उनकी स्वीकृति और साख-पत्र की शर्तों के अनुसार डालर भुगतान किए जाने के लिए संबद्ध यू०एस० बैंक को अदायगी के लिए आवश्यक वचन-पत्र जारी करने हेतु भेज देगा। एक्जिम बैंक द्वारा स्वीकृति तथा वचन-पत्र के मिलने के बाद उससे सभी संबद्धों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। गारंटी किए गये साख-पत्र में संशोधन के लिए भी एक्जिम बैंक की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। संशोधन के लिए प्रार्थना-पत्र अर्थकार्य विभाग (अर्थकार्य सहायता लेखा अनुभाग) को जिनका संशोधन किया जाना है, उनकी दो प्रतियों के साथ और जब मुनासिब हो, क्रय आदेशों द्वारा अथवा अन्य दस्तावेजों के द्वारा जो संशोधन को प्रमाणित करते हों, भेजने चाहिए।

17. उपर्युक्त पैरा 16(4) में बताए गए के अनुसार दस्तावेजों आदि के मिलने के सात दिनों के भीतर संभरकों को दी जाने वाली राशि का समतुल्य रुपया परिवर्तन की वर्तमान मिलीजुली दर पर जो डालर और रुपये में परिगणित किया गया है, उसके साथ यू०एस० संभरक को भुगतान की जानी वाली तारीख की अवधि के, और जिस तारीख को समतुल्य रुपया जमा किया जाता है, उसके बीच की अवधि के लिये प्रति सैकड़ा 6 रुपये ब्याज भी शामिल है, इसे अनुवर्ती पैरा में बताए गए के अनुसार भारत स्थित बैंक सरकार के लेखा में जमा करने की व्यवस्था करेगा। (वर्तमान मिली-जुली दर 1·00 डालर= 7·575 रुपया है) आयातक को मूल आयात दस्तावेज देने से पहले इन धन राशियों को जमा करने की जिम्मेवारी बैंककर्त्ता की होगी।

18. पूर्व पैरा में जिस पर विचार किया गया है, उस रुपये को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में किया जाना चाहिए या सार्वजनिक सूचना 233—आई टी सी(पी०एन०)/68 दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 में अपेक्षित सरकारी लेखा में क्रेडिट के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी दिल्ली के अभिकर्त्ता के नाम में रिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाना चाहिए। लेखा राशि को आकलित किया जाना है "टि—डिपोजिट—तथा—एडवांसेज—भाग—2—जमा रकम जमारकम पर ब्याज नहीं—विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत सीधे भुगतान कार्यविधि," "क्रेडिट के पाचवें एक्जिम लाइन के अन्तर्गत संभरण एवम् उपकरणों के खर्च के लिए जमा।"

19. आयातकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे आवश्यक रुपया केवल उस व्यापारी द्वारा जमा करें जो प्राधिकृत है और सार्वजनिक सूचना सं० 184–आई०टी०सी० (पी०एन०)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अनुसार वांछित उनके द्वारा पृष्ठांकित लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति भी प्राप्त करें। आयातकों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित आवश्यक 'एस' प्रपत्रों को भी भर लेना चाहिए।

राज्य सरकार विद्युत बोर्ड तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों को छोड़ कर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र

20. सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों द्वारा यू० एस० संभरकों को सीधे दिए गए आदेशों के मामले में जो विधि निजी क्षेत्र के आयातकों के लिए बताई गई है वह यथापरिवर्तित स्वरूप में लागू होगी। इसमें उन भारतीय बैंकरों को गारंटी भेजने की आवश्यकता नहीं है जिसके माध्यम से साख-पत्र खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन, फिर भी, इन आयातकों के लिए आवश्यक होगा कि वे स्टेट बैंक आफ इण्डिया की उस शाखा को मनोनीत करें जिसके द्वारा साख-पत्र खोला जाएगा और जिसको दस्तावेज भेजने चाहिए।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार विभाग जिनमें राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल है

21. जो आयातक किसी एक यू० एस० संभरक को दिए गए वैयक्तिक आदेश के मूल्य के अनुसार अदायगी कार्य-विधि या साख-पत्र कार्य-विधि का पालन करेंगे वे सभी भुगतान सी० ए० ओ०, आई० एम० एम०, वाशिंगटन के माध्यम से करेंगे। लेकिन, फिर भी इस के लिए उन्हें सामान्य शर्तें जो भाग 1 में दी गई हैं उनका पालन करना अपेक्षित होगा। इन भुगतानों के विपरीत प्रचलित विधि के अनुसार ऋणांकन या तो महा लेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली, अथवा उन के सम्बन्धित लेखा अधिकारियों द्वारा जैसी स्थिति हो किया जाएगा।

अनुबन्ध ए

बीमा या पुनर्बीमा बोमाकर्ता का प्रमाण-पत्र

संयुक्त राज्य का निर्यात-आयात बैंक, वाशिंगटन डी० सी० 20571

दिनांक————————

विषय : एक्जिम बैंक क्रेडिट संख्या
(पार्टियों के नाम, संख्या और दिनांक द्वारा बीमा संविदा की पहचान करना)

————————

प्रिय महोदय,

हम लोगों ने बीमा संविदा लिख ली है जिसकी पहचान ऊपर दी गई है और हम लोग समझते हैं कि उसको बीमा किश्त संयुक्त राज्य के निर्यात-आयात बैंक जो संयुक्त राज्य अमरीका की एक एजेन्सी है, उसके द्वारा स्थापित एक क्रेडिट के माध्यम से पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में अर्थयुक्त किया जा सकता है।

प्रमाण-पत्र

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मानक दलाल के लिए कमीशन के अतिरिक्त जो उपर्युक्त बीमा किश्त की राशि के प्रतिशत से अधिक नहीं है, हम लोगों ने स्वीकृति नहीं दी है या भुगतान नही किया है, स्वीकृति के लिए या भुगतान या स्वीकृति दी जाने के कारण के लिए या किए गए बीमा या अन्य किसी व्यक्ति या एकक (हमारे नियमित पूरे समय के लिए निदेशकों, अधिकारियों, और कर्मचारियों की उनकी नियमित पारिश्रमिक की सीमा को छोड़ कर) को चुकाए जाने के लिए, उक्त संविदा द्वारा प्रदान किए बीमा की बिक्री या बिक्री प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की छूट, भत्ता, बट्टा, कमीशन शुल्क या भुगतान के लिए राजी नहीं हुए हैं।

बीमाकर्ता का नाम और पता

——————————————द्वारा

उपाधि——————————————

अनुबन्ध बी

बीमा दलाल का प्रमाण-पत्र

संयुक्त राज्य का निर्यात-आयात बैंक, वाशिंगटन डी० सी० 20571

दिनांक

विषय : एक्जिम बैंक क्रैडिट संख्या
(पार्टियों के नाम, संख्या और दिनांक द्वारा बीमा
संविदा की पहचान करना)

———————

प्रिय महोदय,

हम लोगों ने बीमा संविदा करने में जिसकी पहचान ऊपर दी गई है सहयोग दिया है और हम समझते हैं कि उसकी बीमा-किश्त संयुक्त राज्य के निर्यात-आयात बैंक, जो संयक्त राज्य अमरीका की एक एजेन्सी है, उसके द्वारा स्थापित एक क्रैडिट के माध्यम से पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में अर्थयुक्त किया जा सकता है।

प्रमाण-पत्र

इसके द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि मानक दलाल के लिए कमीशन के अतिरिक्त जो उपर्युक्त बीमा-किश्त की राशि के————————प्रतिशत से अधिक नहीं है, हम लोगों ने स्वीकार नही किया है, स्वीकार करने के लिए या किसी व्यक्ति या एकक से स्वीकार किए जाने के कारण के लिए राजी नहीं हुए हैं और हमने स्वीकृति नहीं दी है या भुगतान नहीं किया है, स्वीकृति के लिए या भगतान या स्वीकृति दी जाने के कारण के लिए या किए गए बीमा या अन्य किसी व्यक्ति या एकक (हमारे निय-

मित पूरे समय के लिए निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी नियमित पारिश्रमिक की सीमा तक को छोड़ कर) को चकाए जाने के लिए उक्त संविदा द्वारा प्रदान किया गया बीमा की बिक्री या बिक्री प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की छूट, भत्ता, बट्टा, कमीशन शुल्क या अन्य भुगतान के लिए राजी नहीं हुए हैं ।

दलाल का नाम और पता

———————————————— द्वारा

उपाधि————————————————

अनुबन्ध सी

भाड़ा अग्रेषणकर्त्ता का प्रमाण-पत्र

संयुक्त राज्य का निर्यात-आयात बैंक, वाशिंगटन, डी० सी० 20571

दिनांक————————

विषय : एक्जिम बैंक क्रैडिट संख्या

(उधार लेने वाले का नाम)

भाड़ा अग्रेषणकर्त्ता का प्रमाण-पत्र

प्रिय महोदय,

हम समझते हैं कि हमारे बीजकों द्वारा जो सेवाएं पूरी की गई व इस प्रकार वर्णित हैं :—

संख्या	दिनांक	खरीदार का नाम और पता	धन राशि

इसे संयुक्त राज्य के निर्यात-आयात बैंक, जो संयक्त राज्य अमरीका की एक एजेन्सी है, उसके द्वारा स्थापित क्रेडिट के माध्यम से पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में अर्थयुक्त किया जा सकता है ।

प्रमाण-पत्र

इसके द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त बीजकों द्वारा जो सेवाएं पूरी की गई हैं, वे संयक्त राज्य मूल की हैं ।

इसके द्वारा हम आगे यह प्रमाणित करते हैं कि हमने कोई स्वीकृति नहीं दी है या भुगतान नहीं किया है, उक्त बीजकों द्वारा पूरी की गई सेवाओं की बिक्री या बिक्री के लिए संविदा प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की छूट, भत्ता, बट्टा, कमीशन, शुल्क या अन्य किसी प्रकार के भुगतान के लिए स्वीकृति देने या चुकता करने या स्वीकृति दी जाने या भुगतान किए जाने के कारण के लिए राजी नहीं हुए हैं, किन्तु इनको छोड़ कर:—

1. उक्त बीजकों में खरीदार के लिए दिखाई गई यदि कोई छूट और भत्ता हो;

2. हमारे नियमित पुरे समय के लिए निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का नियमित पारिश्रमिक ;

3. खरीदार के देश के लिए हमारे नियमित बिक्री अभिकर्त्ता या प्रतिनिधि के लिए यदि कोई नियमित कमीशन या शुल्क हो; और

4. और अन्य कोई भुगतान नीचे लिखे अनुसार, यदि कोई हो:—

प्रापक या अभीष्ट प्रापक पता

(यदि कोई न हो, तो उसका उल्लेख किया जाए)

प्रत्येक प्रापक या अभीष्ट प्रापक के लिए, यदि कोई है, जिसका नाम और पता ऊपर दिया गया है, हम आपके पास अलग से लिफाफे के भीतर एक विवरण भेज रहे है जिसमें इस प्रकार के प्रापक द्वारा की गई सेवाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है और इस प्रकार के प्रत्येक प्रापक द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली धन-राशि का विशिष्टिकरण हुआ है ।

भाड़ा अग्रेषणकर्त्ता का नाम और पता

(अधिकृत हस्ताक्षर)

———————————————के द्वारा

(टंकित नाम और उपाधि)

अनुबन्ध डी

संभरक का प्रमाण-पत्र

संयुक्त राज्य का निर्यात-आयात बैंक, वाशिंगटन, डी० सी० 20571

विषय : एक्जिम क्रेडिट संख्या

(उधार लेने वाले का नाम)

संभरक का प्रमाण-पत्र

प्रिय महोदय,

हम समझते हैं कि हमारे बीजकों के अन्दर आने वाले उपस्कर सामग्री और सेवाएं इस प्रकार वर्णित हैं :—

संख्या	दिनांक	खरीदार का नाम और	पता	धनराशि

इसे संयुक्त राज्य के निर्यात-आयात बैंक, जो संयुक्त राज्य अमरीका की एक एजेन्सी है, उसके द्वारा स्थापित क्रेडिट के माध्यम से पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में अर्थयुक्त किया जा सकता है ।

प्रमाण-पत्र

इसके द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त बीजकों के अन्दर आने वाले उपस्कर सामग्री और सेवाएं संयुक्त राज्य की बनी हैं या मूल की हैं ।

इसके द्वारा आगे हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने कोई स्वीकृति नहीं दी है या भुगतान नहीं किया है, उक्त बीजकों के अन्दर आने वाले उपस्कर, सामग्री और सेवाओं की बिक्री या [illegible] के लिए संविदा प्राप्त करने के सम्बध में किसी प्रकार की छूट, भत्ता, बट्टा, कमीशन, शुल्क या अन्य किसी प्रकार का भुगतान के लिए स्वीकृति देने या चुकता करने या स्वीकृति दी जाने या भुगतान किए जाने के कारण के लिए राजी नहीं हुए हैं, किन्तु इनको छोड़ कर:—

1. उक्त बीजकों में खरीदार के लिए दिखाई गई यदि कोई छूट और भत्ता हो;

2. हमारे नियमित पूरे समय के लिए निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का नियमित पारिश्रमिक ;

3. खरीदार के देश के लिए हमारे नियमित बिक्री अभिकर्त्ता या प्रतिनिधि के लिए यदि नियमित कमीशन या शुल्क हो; और

4. और अन्य कोई भुगतान, नीचे लिखे अनुसार यदि कोई हो:—

प्रापक या अभीष्ट प्रापक पता

(यदि कोई न हो, तो उसका उल्लेख किया जाए)

प्रत्येक प्रापक या अभीष्ट प्रापक के लिए, यदि कोई है, जिसका नाम और पता ऊपर दिया गया है, हम आपके पास अलग लिफाफे में एक विवरण भेज रहे हैं, जिसमें इस प्रकार के प्रापक द्वारा की गई सेवाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है और इस प्रकार के प्रत्येक प्रापक द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली धनराशि का विशिष्टिकरण किया हुआ है ।

संभरक का नाम और पता

(अधिकृत हस्ताक्षर)

———————के द्वारा

टंकित नाम और उपाधि

फार्म जिसका उपयोग माल और सेवा के संभरकों द्वारा किया जाता है जिसमें बीमा और भाड़ा अग्रेषण खर्च भी शामिल है जबकि इस प्रकार के खर्च संभरक द्वारा चुकाए जाते हैं । जब बीमा और भाड़ा अग्रेषण खर्च भाड़ा अग्रेषणकर्त्ता द्वारा अलग से बीजक किए जाते हैं और खरीदार द्वारा चुकता किया जाता है, के अनुबन्ध-सी का उपयोग किया जाना चाहिए ।

अनुबन्ध ई

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली ।

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई/कलकत्ता ।

संदर्भ: आयात लाइसेंस संख्या ——————————————————

दिनांक ——————— वास्ते ——————————————— ।

महोदय,

मैं/हम इसको द्वारा यह घोषित करते हैं कि संभरकों के प्राप्त हुए संलग्न बीजक में जैसा बताया गया उपर्युक्त लाइसेंस है, उसके विपरीत उपस्कर, मशीन, सेवाएं आदि के प्रत्येक मद के लिए वास्तविक खरीद कीमत और वैसी धन-राशि जो प्रत्येक मद की खरीद के सम्बन्ध में है जिसमें सभी शुल्क, बट्टा, छूट, भत्ता, खर्च या अन्य किसी प्रकार के मेरे/हमारे द्वारा किए गए या किए जाने वालों या प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले भुगतान मैंने/हमने संयुक्त राज्य अमरीका संभरकों को चुका दिए हैं ।

स्थान———————————— हस्ताक्षर ————————————

दिनांक———————————— नाम बड़े अक्षरों में————————————

ओहदा————————————

पता————————————

इस घोषणा-पत्र पर लाइसेंस फर्म के स्वामी, भागीदार या प्रबन्ध निदेशक द्वारा या ऐसा अन्य व्यक्ति द्वारा जो फर्म की तरफ से किसी वैध घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत हो, हस्ताक्षर किया जाना चाहिए । इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के ओहदे को स्पष्ट अंकित कर देना चाहिए ।

अनुबन्ध एफ

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली ।

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई/कलकत्ता ।

संदर्भ : आयात लाइसेंस संख्या ——————————— दिनांक ———————

वास्ते———————————— ।

महोदय,

मैं/हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस लाइसेंस के अन्तर्गत मेरे/हमारे घोषणा दिनांक (पहले का कोई अनुबन्ध–ई) में पहले अनिवेदित की गई सीमा को छोड़ कर और कुछ हमने नहीं चुकाया है, और न निर्यात प्रोत्साहन बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत जो आयात किया जाने वाला है, इस

विचार से सिद्धान्त रूप में सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कमीशन शुल्क या अन्य कोई भुगतान करने या किसी व्यक्ति या दूसरे एकक (हमारे नियमित पूरे समय के लिए निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उनके नियमित पारिश्रमिक की सीमा को छोड़ कर) को चुकाए जाने के कारण से या नीचे लिखे प्रामाणिक व्यवसायिक, तकनीकी, या अन्य तुल्य सेवा अनुषंगिक जो हमारे आवेदनों या उपर्युक्त लाइसेंसों के प्रचालन (यदि कोई न हो तो उसका उल्लेख करें) की पात्रता के प्रस्तुत करने वाले हैं, उनकी क्षति पूर्ति को छोड़ कर, आयात लाइसेंस या उपर्युक्त लाइसेंस प्रचालन के लिए राजी नहीं हुए हैं।

प्रापक या अभीष्ट प्रापक	पता	सेवा की प्रकृति	धन-राशि
————	———	————	———

ऊपर उल्लिखित नाम वाले प्रत्येक प्रापक और अभीष्ट प्रापक का एक विवरण यहां संलग्न है जो उसके नाम के सामने अंकित धन राशि को सत्यापित करने वाला है और उसके साथ ही उसमें होने वाली इस प्रकार छूट को स्वीकार करने के लिए उसका करार भी है जैसा कि सरकार को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की धन-राशि को दिखाने की जरूरत हो सकती है।

स्थान———————— दिनांक————————

हस्ताक्षर————————————

बड़े अक्षरों में नाम————————————

ओहदा————————————

पता————————————

इस घोषणा-पत्र पर लाइसेंस फर्म के स्वामी, भागीदार या प्रबन्ध निदेशक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो फर्म की तरफ से किसी वैध घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत हो, हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के ओहदे को स्पष्ट अंकित कर देना चाहिए।

जो आवश्यक न हों, उन्हे काट दीजिए।

अनुबन्ध जो

संयुक्त राज्य के जहाज द्वारा 100 प्रतिशत जहाजलदान की आवश्यकता जो भारत सरकार द्वारा थोपा गया है, उसमें ढील देने के लिए निजी क्षेत्र आयातक द्वारा या उनके नाम में भरा जाने वाला आवेदन-पत्र।

इस आवेदन-पत्र को तीन प्रतियों में भरा जाना चाहिए और इसे निदेशक, भारत संभरण मिशन, जहाजलदान शाखा, 2536, मस्सकस्त एवेन्यू, एन० डब्ल्यू०, वाशिंगटन-8, डी० सी० को भेज देना चाहिए।

1. आवेदक का नाम और पता।

2. क्या आवेदक एक प्रधान है, या एजेण्ट है और आवेदन के सम्बन्ध में उसका दर्जा क्या है ?

3. जो विदेशी मुद्रा उसको बंटित की गई है, उसकी धन-राशि क्या है ?

4. संयुक्त राज्य अमरीका से किस प्रकार का माल भारत मंगाया जाने वाला है ?

5. उसका अनुमानतः टनभार कितना है ?

6. जहाजरानी की अवधि/अवधियां क्या है/हैं और भारतीय पोत का नाम क्या है, यदि मालूम है ?

7. टनभार में माल का क्या प्रतिशत है जिसको भारतीय पोतों द्वारा जहाज लदान करने के लिए अब अधित्यक्त करने की जरूरत है और परिवहन का अनुमानतः खर्च क्या है ?

मैं/हम इसके द्वारा यह घोषित करते हैं कि ऊपर जो सूचना दी गई है जहां तक मुझे/हमें पता है और विश्वास है, सही है। इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम और मेरी/हमारी कम्पनी किसी प्रकार की जोखिम के जिमेदार हैं जिसे कि भारत सरकार या भारतीय संभरण मिशन, वाशिंगटन, डी० सी०, ऊपर दी गई सूचना के द्वारा कार्यान्वियन करते हुए जो दी गई सूचना किसी मामले में मौलिक रूप से गलत है या गुमराही करने वाली पाई जाती है, अपने ऊपर ले सकती है। मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि भारतीय संभरण मिशन द्वारा लिखित प्राधिकार नहीं दिये जाने पर माल की कोई भी मात्रा भारतीय ध्वज पोतों में नहीं लादे जाएंगे और उस लिखित प्राधिकरण में दी गई मात्रा से अधिक का पोत लदान नहीं किया जाएगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

अनुबन्ध-एच

सुपुर्दगी कार्यविधि पत्र के अन्तर्गत साख-पत्र खोलने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आयातक की ओर से आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

लेखापाल अधिकारी,
अर्थकार्य सहयोग लेखा शाखा,
वित्त मंत्रालय (अर्थकार्य विभाग)।

विषय : क्रेडिट–6, एक्जिम लाइन के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से ---------- का आयात।

महोदय,

क्रेडिट संख्या 2694 के 6 एक्जिम लाइन के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से---------- ----------के आयात के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित विवरण भेज रहे हैं, जिससे आप साख-पत्र की स्वीकृति और एक्जिम बैंक में उत्तरदायित्व प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

1. भारतीय आयातक का नाम और पता।

2. संख्या, दिनांक और आयात लाइसेंस, बंटित विदेशी मुद्रा का मूल्य और इसकी समाप्ति का दिनांक ।

3. संयुक्त राज्य संभरकों का नाम और पूरा पता ।

4. दिए गए आदेश और उनका संभरकों द्वारा स्वीकार किए गये का डालर्स में मूल्य ।

5. वह संभावित दिनांक जिस दिन संभरकों को भुगतान पूरा किये जाने की उम्मीद की जाती है ।

6. आयात किए जाने वाले माल का विवरण ।

7. एक ऐसी अनुसूची जिसमे धन-राशि सहित दिनांक संकेतिक हों, जिसके आधार पर संविदना के अन्तर्गत पड़ने वाला भुगतान किया जाएगा ।

8. भारतीय बैंक का नाम और पता जिसके माध्यम से आयात प्रलेख प्राप्त किए जाने वाले है, और

(**टिप्पणी**) सार्वजनिक क्षेत्र आयातों के मामले में, जिस बैंक का मनोनयन किया जाने वाला है, उसे स्टेट बैंक आफ इण्डिया की एक शाखा होनी चाहिए । यदि आयात केन्द्र/राज्य सरकारों (इसमे राज्य विद्युत् बोर्ड भी शामिल है) के विभाग द्वारा किया जाता है, तो इस मामले में इस प्रकार के मनोनयन की आवश्यकता नही होगी ।

9. संयुक्त राज्य अमरीका के उस बैंक का नाम और पता जो संभरकों के नाम में साख-पत्र जारी करेगा ।

10. बैंक के नाम भेजी गई बैंक गारंटी और जो अधिनियम, 1899 की धारा 31 की व्यवस्थाओ के अनुसार समाहर्ता द्वारा विधिवत् न्यायनिर्णित किया गया है, संलग्न है ।

11. संयुक्त राज्य संभरक विषयक प्रत्येक संविदा की तीन-तीन प्रतियां इसके साथ लगी हुई हैं ।

12. संयुक्त राज्य सम्बद्ध बैंक के नाम में भारतीय बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र की दो अपर-क्राम्य प्रतियां इसके साथ लगी हुई हैं ।

13. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि लाइसेंस की शर्तों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है ।

भवदीय :

(लाइसेंस धारी के हस्ताक्षर और पूरा पता)

केवल निजी क्षेत्र के लिए लागू होने वाला ।

अनुबन्ध आई

सेवा में ,

भारत के राष्ट्रपति,
द्वारा, सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग
नई दिल्ली ।

महोदय,

भारत के राष्ट्रपति के विमर्श से इसे बाद में "सरकार" के रूप में उल्लेख किया गया है इसके द्वारा आयात लिए जाने वाले माल की कीमत का विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए व्यवस्था करने को राजी हुए —

(1) ——————————
(2) ——————————
(3) ——————————
(4) ——————————
(नाम और पते)

} व्यक्ति/भागीदार जिसके अन्तर्गत कम कर रहे हैं, उसका नाम तथा किस्म-फर्म——

——————————————————

——————————————— कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय ——————————————— में ——————————— राज्य का ——————

इसे बाद में आयात लाइसेंस सं०——————————————————दिनांक ——————————

के अन्तर्गत आयातकों के रूप में उल्लेख किया गया और ——————————————————

रुपये स्वीकृत किए गए, हमने——————————————इसके द्वारा स्वीकृति दी कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली/स्टेट बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली या विधि रूप में, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी के नाम में निकाले जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा और उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए लाइसेंस की शर्तों के अन्तर्गत बताया गया है, सरकार को जमा करने की हम व्यवस्था करेंगे :

(1) भुगतान के परामर्श की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर, जिसके साथ 7,757 रुपये/यू० एस० डालर 100 की दर में संभरकों को एक्जिम बैंक संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा यू० एस०/डालर के मूल्य के मूल्य में दिए गए समतुल्य रुपये के यू० एस० संभरकों से प्राप्त जहाजरानी प्रलेख होंगे उसके साथ यू० एस० संभरकों को किए गए भुगतान की तारीख से समतुल्य रुपये के जमा करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए 6 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज भी होगा ।

(2) सेवा-प्रभार के लिए बकाया रहने वाला रकम जैसा कि सरकार द्वारा उसकी मांग की जा सकती है, इस प्रकार की अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा मांग किए जाने के सात दिनों के भीतर जमा कर देंगे ।

2. हम————————————मांग किए जाने पर बिना किसी आपत्ति के इस प्रकार की राशि जो ————————————रुपये से अधिक नहीं होगी (इसमें ब्याज तथा ऊपर कथित सेवा भार भी होगा) सरकार द्वारा मांगे जाने पर ऊपर उल्लिखित कथित भुगतान आयात ठीक समय पर नहीं करते या भुगतान करने से इन्कार कर जाते हैं और ऐसा करने में आयातकों के असफल हो जाने या उनसे इन्कार किए जाने पर और हमारे द्वारा सरकार को चुकाये जाने योग्य धन-राशि के बारे में सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अन्तिम होगा और वह हमारे ऊपर अवश्य लागू होगा ।

3. हम————————————इस बात से सहमत होते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आयातक जब तक उपर्युक्त समतुल्य रुपये और अन्य कोई बकाया, जो सरकार द्वारा मांगे गए हैं, सरकार के नाम खाते में जमा नहीं कर देते तब तक उसको हम जहाजरानी प्रलेखों के परक्राम्य सेट का बंटन नहीं करेंगे ।

4. हम———————— इस बात से सहमत हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि भारत सरकार से पूर्व परामर्श लेने के सिवाय और किसी भी स्थिति में, इस गारंटी को इसकी मुद्रा अवधि में रद्द नहीं करेंगे ।

5. इसमें निहित गारंटी में किसी प्रकार के परिवर्तन होने से आयातकों के या हमारे बैंक के संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

6. सरकार को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि इस गारंटी को प्रभावित किए बिना ऊपर उल्लिखित आयात लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन करे या आयातकों के विरुद्ध इसके द्वारा व्यवहार्य किसी भी शक्ति से आयातकों द्वारा भुगतान की अवधि को समय-समय पर बढ़ा दे या उसे किसी समय के लिए और समय-समय पर स्थगित करे और हम ————————————ऊपर बताई धन-राशि की स्वतंत्रता के संदर्भ में सरकार द्वारा प्रयुक्त किसी भी शक्ति से इस गारंटी के अन्तर्गत अपनी स्वतन्त्रता से या इस प्रकार के अन्य किसी परिवर्तन के कारण या आयातकों को अवधि वृद्धि की जाने के कारण या सरकार की तरफ से कोई स्थगन, कार्यवाही या विलेपन या आयातकों को सरकार की तरफ से किए गए अनुग्रह के कारण या और कोई मामला या बात, चाहे जो भी हो, जो विधि के अन्तर्गत जमानतों से सम्बन्धित हो, लेकिन यह व्यवस्था हमें इस प्रकार की स्वतन्त्रता से————————————बैंक की ऐसी उन्मुक्ति करने से प्रभावित करेगा, इससे उन्मुक्त नहीं होंगे ।

इस बौंड/गारंटी के अन्तर्गत हमारा उत्तरदायित्व ————————————रुपये तक प्रतिबंधित है (इसमें ब्याज और ऊपर कथित सेवा प्रभार भी शामिल होगा) और यह————दिन———— ————————मास ————————————19————————तक लागू रहेगा । जब तक इस बौंड/गारंटी के अन्तर्गत मांगें लिखित रूप में इसकी तिथि से छः मास के भीतर पूरा नहीं कर ली जाती और जब तक उसके बाद दूसरे छः मास के भीतर उनकी मांगों के लिए मुकद्दमा या कार्यवाही लागू न हो जाए जैसे————————————तक, इस बौंड/गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकारों द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा और हम लोग इसके अन्दर निहित सारी जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जायेंगे ।

भवदीय :

स्थान————————————
दिनांक ————————————

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर और बैंक का पूरा पता ।

(बैंक गारंटी कार्यान्वयन न्यायकेतर स्टाम्प पेपर पर किया जाना है। इस स्टाम्प पेपर के मूल्य का भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलेक्टर के द्वारा न्यायनिर्णित किया जाना है।)

जो लागू न हों, उन्हें काट दीजिये।

सम्बन्धित संविदाओं की प्रत्येक सुपुर्दगी अनुसूचि के अनुसार, जहाज लदान के लिये भुगतान की जो तारीख निश्चित की जाने की उम्मीद की जाती है उस तारीख से एक और माह के साथ यह तारीख लागू होगी।

आर० जे० रवैलो,
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970